प्रतिः

थाना प्रभारी महोदय
सिविल लाईन्स
~~तेलीबाँधा~~, जिला रायपुर (छ:ग)

विषयः <u>फिल्म **"KD: The Devil"** के गीत "**सरके चुनर तेरी सरके**" में अश्लील एवं द्विअर्थी सामग्री के प्रसारण के संबंध में शिकायत तथा; उक्त गीत के निर्माता, कलाकार, गीतकार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर अपराध दर्ज करने बाबत</u>

महोदय,

निवेदन है कि मैं अनुराग गुप्ता, अधिवक्ता, रायपुर छः:ग एक जागरूक नागरिक और इस समाज का हिस्सा होने के नाते आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर विषय लाना चाहता हूँ। हाल ही में फिल्म **"KD:THE DEVIL"** का एक गीत **"सरके चुनर तेरी सरके"** रिलीज किया गया है, जिसमें अभिनेत्री नोरा फतेही एवं अभिनेता संजय दत्त प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इस गीत के लेखक के रूप में रकीब आलम (RAQUEEB ALAM) तथा संगीतकार के रूप में अर्जुन जन्या (ARJUN JANYA) है।

थाना सिविल लाइन्स रायपुर (छ.ग.)

19/03/26 के 14/1007

यह कि इस गीत के प्रतिएक शब्द, दृश्य और नृत्य प्रस्तुति अत्यंत अश्लील, द्विअर्थी एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हैं, जिसके कारण समाज में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हो सकता हैं।

आपत्तिजनक गीत के शब्द (Lyrics) गीत में प्रयुक्त कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, जो स्पष्ट रूप से द्विअर्थी एवं अश्लील भाव प्रदर्शित करती हैं:

"हे, अरे सर, सर, सर, सर, सर से चुंदरी सरके

हे, धक, धक, धक, धक दिल ये मेरा धड़के

हल्लू से तू थाम ले

ये पल्लू मेरा, तेरा नाम ले

सरके सरके, चुनर तेरी सरके

सरके सरके, चुनर तेरी सरके

खलनायक हूँ मैं

पहले उठाले, अंदर वो डाले

नीचे एक बूंद न गिराए

खाली कर के निकाले

मुझ पे न गिराना मुझे लगता है डर

भेद खुल जाए न संभाल के जाना घर

चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर

तेरी बोतल पे न पड़े किसी की भी नजर

सरके सरके, चुनर तेरी सरके

सरके सरके, चुनर तेरी सरके

खलनायक हूँ मैं

ओ मूंछों वाले इतना बता दे

घर मे जवान घरवाली क्यूँ चाहे बाहर वाली

महंगी हूँ मैं थोड़ी

पर आउंगी न घबरा

खुश हो जाए तो फिर

मुझे लहंगा दिला

देखने में हूँ नरम

छूने ले तो गरम

चटपटी मैं यार, जैसे आम का अचार

सरके सरके, चुनर तेरी सरके

सरके सरके, चुनर तेरी सरके

खलनायक हूँ मैं"

उपरोक्त पंक्तियाँ मे स्पष्ट रूप से यौन संकेत (Sexually Suggestive) और अश्लील भाव व्यक्त करती हैं तथा सार्वजनिक मंच पर प्रसारण के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

<u>शिकायत के मुख्य आधार (GROUNDS OF COMPLAINT)</u>

1. यह कि, उक्त गीत में प्रयुक्त शब्द एवं दृश्य अश्लीलता (Obscenity) को बढ़ावा देते हैं।
2. यह गीत नाबालिग बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
3. यह गीत के शुरुवात में किसी भी प्रकार की चेतावनी या Disclaimer निर्माताओ के द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे बच्चे और किशोर इसे बिना रोक-टोक देख सकते हैं।
4. यह कि, इस प्रकार के गीत समाज में नैतिक पतन, महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण और अश्लील संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
5. यह कि, इस गीत के प्रसारण से सार्वजनिक शालीनता (Public Decency) और नैतिकता (Morality) को ठेस पहुँचती है।

संबंधित व्यक्तियों के नाम (ACCUSED / RESPONSIBLE PERSONS)

1. नोरा फतेही - कलाकार (Performer)
2. संजय दत्त - कलाकार
3. रकीब आलम - गीतकार (Lyricist)
4. अर्जुन जन्या - संगीतकार (Composer)
5. फिल्म “KD: The Devil” के निर्माता व निर्देशक (Director Prem) तथा संबंधित प्रोडक्शन हाउस।
6. संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब एप एवं चैनल जिन्होंने इसे प्रसारित किया।

प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करना क्यों आवश्यक है

1. यह कि समाज में अश्लील एवं द्विअर्थी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए।

2. यह की, बच्चों एवं किशोरों को अनैतिक और अश्लील कंटेंट से बचाने के लिए।

3. यह की, भविष्य में फिल्म एवं संगीत उद्योग को कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु।

4. यह की, समाज में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मर्यादा की रक्षा के लिए।

5. यह की, उक्त अश्लील एवं द्विअर्थी गीत YouTube सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी प्रभावी समीक्षा (Content Review) और बिना किसी चेतावनी (Disclaimer) के सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया।

6. यह की, YouTube तथा अन्य डिजिटल माध्यमों की यह कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाने वाली सामग्री का परीक्षण करें ताकि ऐसी सामग्री, जो अश्लील, आपत्तिजनक या समाज की नैतिकता के विरुद्ध हो, उसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित न किया जाए।

7. यह की, वर्तमान प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि YouTube तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने अपनी Due Diligence (उचित सावधानी) का पालन नहीं किया और बिना किसी आयु-सीमा (Age Restriction) अथवा चेतावनी के इस गीत को प्रसारित होने दिया, जिससे यह सामग्री नाबालिग बच्चों एवं किशोरों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो गई।

8. यह की, यह कृत्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 तथा Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों का

उल्लंघन प्रतीत होता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके माध्यम से अश्लील अथवा समाज विरोधी सामग्री का प्रसार न हो।

प्रार्थना-अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं आधारों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध (FIR) दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें साथ ही, उक्त गीत की सामग्री की जांच कर उसे YouTube एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों से हटाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भूमिका की भी जांच कर यदि किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो उनके विरुद्ध भी उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। तथा उक्त गीत को सभी डिजिटल माध्यमों से तत्काल हटाने के निर्देश दिए जाएँ तथा इस गीत को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

दिनांक: 18/03/2026
स्थान: रायपुर (छ.ग.)

भवदीय

(अनुराग गुप्ता)
अधिवक्ता
बार काउन्सल रायपुर छतीसगढ़